बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0–01/निगम–09–12/2025 परि0, 3580 **पटना, दिनांक–** 12/05/2026

बिहार के प्रमुख शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना सं0–9204, दिनांक–06.12.2023 द्वारा पी०एम० ई–बस सेवा योजना लागू की गयी है।

इस योजनान्तर्गत कुल 400 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों में से 9 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसें प्रतिदिन 200 किलोमीटर परिचालन में 56.00 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से एवं 12 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों को प्रतिदिन 200 किलोमीटर के परिचालन में 62.00 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु Cash Gap Subsidy के अंतर्गत 12 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 203.20 करोड़ रू० एवं केन्द्र सरकार द्वारा 671.60 करोड़ रू० सहित कुल 874.80 करोड़ रू० व्यय किये जाने की स्वीकृति प्राप्त है।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में निविदा के माध्यम से **CESL (Convergence Energy Service Ltd)** से प्राप्त नई संशोधित दर के अन्तर्गत 9 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों को प्रतिदिन 180 किलोमीटर परिचालन में 62.67 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से एवं 12 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों को प्रतिदिन 200 किलोमीटर के परिचालन में 74.38 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से Cash Gap Subsidy के गणना के उपरान्त भारत सरकार द्वारा 639.40 करोड़ रू0 एवं राज्य सरकार द्वारा कुल 517.16(पाँच सौ सतरह करोड़ सोलह लाख मात्र) रू0 का व्यय संभावित है।

भारत सरकार द्वारा नई संशोधित दर के आधार पर 12 वर्षों के लिए Cash Gap Subsidy का केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी नही किये जाने की स्थिति में 400 ईलेक्ट्रिक ए0सी0 बसों के 12 वर्षों तक परिचालन से होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा Cash Gap Subsidy के रूप में स्वीकृत राशि 203.20 करोड़(दो सौ तीन करोड़ बीस लाख मात्र) रूपये में 313.96 (तीन सौ तेरह करोड़ छियानवे लाख मात्र) रूपये की अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर कुल पुनरीक्षित राशि 517.16 करोड़ (पाँच सौ सतरह करोड़ सोलह लाख मात्र) रूपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राज कुमार) 12/05/26

सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3580

पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सचिव, 12/05/26

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3580

पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपि–सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार / प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना/ सभी संयुक्त–आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, 12/05/26

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3580 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना वरीय आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3580 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपि–सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3580 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

D:\SECTION -0 1\2024 & 2025\SUMAN SIR 2024\mantriparisnad sanlekh\mantriparisnad adhiyachna docx